# * प्रधानमंत्री व उसकी मंत्रिपरिषद *

## ( केन्द्रसरकार अनुच्छेद - 74 )

- अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रीपरिषद होगा। जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा।

- नियुक्ति (अनुच्छेद - 75) → प्रधानमंत्री की नियुक्ति लोकसभा में बहुमत दल के नेता के आधार पर राष्ट्रपति करता है। जबकि अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति करता है।

- केन्द्रीय मंत्रीपरिषद का गठन → प्रधानमंत्री के साथ निम्न 3 स्तर के मंत्री होते है –

1. कैबिनेट मंत्री 2. राज्य मंत्री 3. उपमंत्री

- केन्द्रीय मंत्रिमण्डल (कैबिनेट का गठन) → प्रधानमंत्री के साथ केवल कैबिनेट मंत्री होते है।

- मंत्रीपरिषद बड़ा होता है जबकि मंत्रिमण्डल छोटा होता है।

- मंत्रीमण्डल सबसे अधिक शक्तिशाली होता है क्योंकि केन्द्र सरकार में समस्त नीतिगत निर्णय इसी के द्वारा लिये जाते है।

- मंत्रीपरिषद के गठन की शक्ति प्रधानमंत्री को प्राप्त होती है।

- मूल संविधान में मंत्रीपरिषद की सदस्य संख्या निश्चित नही थी। प्रधानमंत्री जितने चाहे मंत्री बना सकता था।

- 91 वाँ संशोधन 2003 → इसके द्वारा मंत्रीपरिषद की अधिकतम सदस्य संख्या लोकसभा की कुल सदस्य का 15% निर्धारित कर दी गई है। तथा इस आधार पर

मंत्रिमण्डल - सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धान्त

* मंत्रिमंडल या कैबिनेट शब्द का प्रयोग अनुच्छेद 352 में हुआ है।
* अनुच्छेद - 77 - केन्द्र सरकार के कार्य का संचालन
* अनुच्छेद 78 - राष्ट्रपति को जानकारी आदि देने के संबंध में प्रधानमंत्री का कर्तव्य।

केन्द्र में अधिकतम 82 मंत्री बनाये जा सकते है। प्रधानमंत्री का पद भी इनमें शामिल होती है। (1+81 = 82 मंत्री)

संसदीय सचिव → इनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री करता है।
- इनको शपथ प्रधानमंत्री दिलाता है।
- इनको पद से प्रधानमंत्री हटाता है।
- ये त्यागपत्र प्रधानमंत्री को देते है।
- ये व्यक्तिगत रूप से प्रधानमंत्री के प्रति उत्तरदायी होते है।
- इनका कार्यकाल प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यन्त। 5 वर्ष का होता है।
- इनको राज्यमंत्री के बराबर दर्जा दिया जाता है परन्तु ये मंत्रीपरिषद के सदस्य नहीं होते।
- इनका कार्य मंत्रियों के कार्यों में सहयोग करना होता है।

* योग्यता → 1. 25 वर्ष की आयु प्राप्त है।
2. लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता है।

* कार्यकाल → मंत्रियों का कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यन्त/5 वर्ष
प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत प्राप्ततक। 5 वर्ष का होता है।

* शपथ → राष्ट्रपति दिलाता है।

* त्यागपत्र → प्रधानमंत्री व अन्य मंत्री अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते है। तथा प्रधानमंत्री का त्यागपत्र पूरे मंत्रीपरिषद का त्यागपत्र माना जाता है।

* पद से हटाने की प्रक्रिया → प्रधानमंत्री व उसकी मंत्रीपरिषद को सामूहिक रूप से पद से लोकसभा के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पारित करके हटाया जा सकता है।

- किसी भी मंत्री को पद से प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति द्वारा

हटाया जा सकता है।
- यदि 1 मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो पूरे मंत्रीपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है।

* महत्वपूर्ण तथ्य →

1. प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति तथा सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी। जवाबदेह होते है।
2. प्रधानमंत्री पूरे भारत संघ के शासन का राजनीतिक प्रधान होता है। जबकि 1 कैबिनेट मंत्री अपने विभाग का (दलीय) राजनीतिक प्रधान होता है।
3. यदि प्रधानमंत्री व मंत्री अपनी नियुक्ति के समय संसद का सदस्य नही है तो 6 माह के भीतर सदस्यता प्राप्त करना अनिवार्य है।
4. प्रधानमंत्री व मंत्री संसद के दोनो सदनों से ही बनाए जा सकते है।
5. दोनों सदनों के मनोनित सदस्यो को प्रधानमंत्री व मंत्री नही बनाया जा सकता।
6. प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाने, त्याग पत्र दे देने एवं पद से हटा दिये जाने पर पुरा मंत्रीपरिषद समाप्त हो जाता है।
7. * उपप्रधानमंत्री के पद का प्रावधान संविधान में नही है अर्थात यह संवैधानिक पद नही है अपितु कानुनी/वैधानिक पद है।
*8 सरदार पटेल प्रथम उपप्रधानमंत्री थे।
9 गुलजारी लाल नंदा एक मात्र कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे है 2 बार (1964 में, 1966 में)।
*10 इंदिरा गांधी राज्यसभा सदस्य के रूप में पहली बार प्रधानमंत्री बनी थी।
11. सर्वाधिक लम्बी अवधि तक प्रधानमंत्री "पंडित नेहरू" रहे है। (1947 से 1964 में)

अटल बिहारी - उपर प्रधानमंत्री
मोरारजी देसाई के काल मे दो उपप्रधानमंत्री (चरण सिंह जगजीवन राम)

11. प्रधानमंत्री व मंत्रियो को मुल वेतन संसद सदस्य के रूप मे प्राप्त होता है। वर्तमान मे = 1,65000 रूपये है।

12. वर्तमान प्रधानमंत्री - श्री नरेन्द्र मोदी (14वें)
(U.P) वाराणसी से लोकसभा सदस्य है। 2014 - 2019 I[st] 30 May 2019 से II[nd]

* प्रधानमंत्री की शक्तियाँ →

- प्रधानमंत्री भारत संघ की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है। तथा राष्ट्रपति की समस्त शक्तियों का प्रयोग करता है।

- प्रधानमंत्री मंत्रीपरिषद का निर्माता होता है तथा मंत्रियों की नियुक्ति, उनके विभागों का बंटवारा एवं उन्हे पद से हटाने की सलाह राष्ट्रपति को देता है।

- प्रधानमंत्री मंत्रीपरिषद एवं राष्ट्रपति दोनों के बीच की कड़ी होता है।
- प्रधानमंत्री मंत्रीपरिषद एवं मंत्रिमण्डल दोनो की बैठकों की अध्यक्षता करता है।

- प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल एवं सरकार दोनों का नेता होता है तथा इन दोनों का नेतृत्व करता है।

- प्रधानमंत्री भारत संघ के शासन, प्रशासन एवं विधायी कार्यों की सूचना राष्ट्रपति को देता है। (अनुच्छेद - 78)

- प्रधानमंत्री अपनी शक्तियों का प्रयोग मंत्रिमण्डल* (कैबिनेट) की सलाह से करता है।

प्रधान मंत्री जन-धन योजना - गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड
विश्व की I[st] महिला प्रधानमंत्री → श्रीमाओ भंडारनायके

कारण – चीन का आक्रमण
क्षेत्र – नेफा क्षेत्र
राष्ट्रपति – डॉ राधाकृष्णन
प्रधानमंत्री – पंडित नेहरू

II 4 दिसम्बर 1971 – 21 मार्च 1977 तक
कारण – पाकिस्तान का आक्रमण
क्षेत्र – भारत-पाक सीमा क्षेत्र
राष्ट्रपति – V.V गिरि
प्रधानमंत्री – इंदिरा गांधी

III 25 जून 1975 – 21 मार्च 1977 तक
कारण – आंतरिक अशांति
क्षेत्र – पूरा देश
राष्ट्रपति – फखरुद्दीन अली अहमद
प्रधानमंत्री – इंदिरा गांधी

2 संवैधानिक आपात / राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाना (अनुच्छेद 356)

→
- यह संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर लगाया जाता है।
- राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता की रिपोर्ट राष्ट्रपति को राज्यपाल देता है तथा इसी रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है।

- इसे संसद के द्वारा 2 माह में पारित करना अनिवार्य होता है।
- यह 6 माह के लिए लगाया जाता है परन्तु संसद इसे 6-6 माह करके अधिकतम 3 वर्ष तक बढ़ा सकती है।

- इसके लागू होते ही राज्य सरकार तुरंत प्रभाव से निलंबित हो जाती है। जबकि विधानसभा इसके संसद से पारित होने